अध्याय - 6
सामाजिक सुरक्षा

प्रस्तावना

6.1 भारत में सामाजिक सुरक्षा योजना में संगठित कार्य बल का एक छोटा भाग ही कवर होता है जिसके अंतर्गत वे कामगार आते हैं जो किसी संगठन में नियोक्ता कर्मचारी के बीच नियमित सीधे संबंध के अंतर्गत हैं । भारत में सामाजिक सुरक्षा विधान को उनकी शक्तियां तथा कार्य प्रेरणा भारत के संविधान में यथा निर्धारित राज्य के नीति प्राप्त होती हैं । उनमें आवश्यक सामाजिक सुरक्षा हितलाभ, जिसे या तो अकेले नियोक्ता की लागत से अथवा साझा योगदान के आधार पर पूरा किए जाने संबंधी प्रावधान हैं । जबकि संरक्षण कर्मचारियों का हक बनता है तथापि, इसके अनुपालन का उत्तरदायित्व व्यापक रूप से नियोक्ताओं के ऊपर है।

सामाजिक सुरक्षा कानून

6.2 भारत में अधिनियमित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कानून निम्नलिखित हैं-

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (कोयला खानों और असम राज्य में चाय बागानों में नियोजित कामगारों और नाविकों के लिए अलग से भविष्य निधि विधान है) ।
- कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- उपदान संदाय अधिनियम, 1972

सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों का प्रशासन

6.3 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का संचालन भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन नकद हितलाभ के भुगतान का संचालन क.रा.बी.निगम (ई.एस.आई.सी.) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम1948के अधीन चिकित्सीय देख-रेख का संचालन राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उपदान संदाय अधिनियम, 1972 का संचालन केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों, जिनकी शाखाएं एक से अधिक राज्यों में हैं, प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों और रेलवे के लिये केन्द्र सरकार द्वारा और शेष मामलों में राज्य सरकारों, तथा संघ

शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा किया जाता है। यह अधिनियम कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है । खानों और सर्कस उद्योग में, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 **के उपबंधों का संचालन मुख्य श्रम आयुक्त** (**केन्द्रीय**) **के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि कारखानों, बागानों और अन्य प्रतिष्ठानों में राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । कर्मकार प्रतिकर अधिनियम,** 1923 **के उपबंधों का संचालन राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है।**

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

6.4 **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रक्रर्ण उपबंध अधिनियम,** 1952 **एक कल्याणकारी विधान है जिसे कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि शुरू करने के उदेश्यों से अधिनियमित किया गया है। अधिनियम का उदेश्य औद्योगिक कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को विपत्ति और । अथवा उनके पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा न कर पाने की स्थिति में, वृद्धावस्था में उनको संरक्षण देने, निःशक्तग, कमाऊ सदस्य की समय पूर्व मृत्यु अथवा कुछ अन्य आकस्मिकताओं हेतु सामाजिक सुरक्षा तथा समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है । वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन योजनाएं प्रचालन में हैं ः-**

- **कर्मचारी भविष्य निधि योजना,** 1952**।**
- **कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना,** 1976**।**
- **कर्मचारी पेंशन योजना,** 1995 **।**

स्थापनाओं एवं सदस्यों की व्याप्ति (कवरेज)

6.5 कर्मचारी भविश्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में है यह अधिनियम विशिष्ट उद्योगों से संबंधित कारखानों तथा प्रतिष्ठानों की अन्य श्रेणियों तथा 20 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों की श्रेणियों पर लागू है । तथापि यह अधिनियम 50 से कम व्यक्तियों के नियोजन वाली तथा बिना बिजली की सहायता से चलने वाली सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता । अधिनियम केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राघिकरण के कर्मचारियों पर भी लागू नहीं है । केन्द्र सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को 20 से कम व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठानों में भी शासकीय राजपत्र में इसे लागू करने के आशय की अधिसूचना द्वारा नोटिस देते हुए, जिसकी अवधि 2 महीने से कम न होगी, लागू करने के लिए अधिकृत है । इस अधिनिमम के

एक बार लागू हो जाने के बाद, यदि कर्मचारियों की संख्या 20 से कम हो जाती है, तब भी यह अधिनियम लागू रहेगा । वे प्रतिष्ठान/ कारखाना जो इस अधिनियम में अन्यथा कवर नहीं होते हैं, उन्हें भी इस अधिनियम की धारा 1 (4) के अन्तर्गत नियोक्ता व अधिकांश कर्मचारियों की आपसी सहमति से स्वैच्छिक रूप में इसमें कवर किया जा सकता है । इस प्रकार उन कर्मचारियों के लिए इस निधि की सदस्यता अनिवार्य है जिनकी मासिक आय (नियुक्ति के समय) 6500/- रूपये से अधिक नहीं है । कारखाना अथवा प्रतिष्ठान में नियोजित अथवा संबंधित कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मचारी, कारखाना अथवा प्रतिष्ठान में कार्य ग्रहण करने के समय से ही निधि की सदस्यता का हकदार होंगा तथा सदस्य बनना उसके लिए अपेक्षित होगा। कार्य ग्रहण के समय जिन कर्मचारियों की मासिक आय 6500/- रूपये से अधिक है, वे नियोक्ता एवं कर्मचारी के साक्षा विकल्प के द्वारा सदस्य बन सकते हैं। वर्तमान में अधिनियम लगभग 182 विनिर्दिष्ट उद्योगों के कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों, 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों के नियोजन वाले प्रतिष्ठानों की श्रेणी में लागू है । (विनिर्दिष्ट उद्योगों का विवरण अनुसूची-1 पर दिया गया है)। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार अधिनियम में कवर होने वाले प्रतिष्ठानों तथा कारखानों की संख्या छूट प्राप्त तथा बिना छूट प्राप्त दोनों ही सैक्टरों में 429.53 लाख की सदस्यता के साथ 4,44,464 थी ।

कर्मचारी भविष्य निधि बकाया

6.6 31.3.2006 **की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की बकाया राशि** 2530.07 **करोड़ रुपये थी । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन चूककर्ता नियोक्ताओं के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,**1952 **की धारा** 14 **के अंतर्गत अभियोजन कार्रवाई भी करता है । साथ ही, संगठन उन नियोक्ताओं पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा** 406/409 **के अंतर्गत अभियोजन की कार्रवाई करता है जो कर्मचारियों का अंशदान काटते तो हैं किन्तु उसे निधि में जमा नहीं कराते। वर्ष** 2005-2006 **के दौरान** 1958.55 **करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल की गई।**

कर्मचारी निक्षेप सह बीमा योजना, 1976

6.7 **कर्मचारी निक्षेप सह बीमा योजना**, 1976, 1 **अगस्त**, 1976 **से सभी कारखानों/स्थापनाओं पर लागू है । उन सभी कर्मचारियों, जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं, से अपेक्षा है कि वे इस योजना के भी सदस्य बनें । नियोजकों से अपेक्षित है कि वे वेतन अर्थात् मूल मजदूरी, भोजन रियायत की कैश वैल्यू तथा प्रतिधारण भत्ते, यदि कोई हों, सहित महंगाईऩ भत्ते की** 0.5

प्रतिशत की दर से बीमा निधि में अंशदान का भुगतान करें। वर्ष-2005-2006 **के दौरान नियोक्ताओं के अंशदान सहित** 220.69 **करोड़ रुपये जमा किए गए। वर्ष** 2005-2006 **के दौरान** 19,288 **दावे निपटाए गए और** 49.42 **करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई । वर्ष** 2005-2006 **के अंत तक इस योजना के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का** 4918.99 **करोड़ रुपए परिशोधन के बाद लागत मूल्य का संचयी निवेश था।**

कर्मचारी पेंशन योजना

6.8 कर्मसचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन किया गया तथा तत्कालीन कर्मचारी पेंशन योजना, 1931 को प्रतिस्थापित करते हुए 16 नवम्बर, 1995 से एक अलग पेंशन योजना शुरू की गई ।

पेंशन पात्रता

6.9 58 वर्ष की आयु हो जाने अथवा 20 वर्ष अथवा अधिक की सेवा पूरी होने पर अधिवर्षिता पेंशन देय होगी । 10 वर्ष अथवा इससे अधिक की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने पर 50-58 वर्ष के बीच में कम दर पर समय-पूर्व पेंशन भी ली जा सकती है । 10 वर्ष अथवा इससे अधिक की पेंशन के बीच में कम दर पर समय पूर्व पेंशन भी ली जा सकती है । 10 वर्ष से कम की सेवा पर पेंशन देय नहीं है । इन मामलों में एक मुश्त निकासी लाभ दी जा सकती है ।

योजना के अंतर्गत लाभ

6.10 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 निम्नलिखित हितलाभ पैकेज उपलब्ध कराती है-

- **अधिवार्षिता पेंशन**
- **समय पूर्व पेंशन**
- **स्थायी पूर्ण अपंगता**
- **बाल पेंशन अथवा अनाथ पेंशन**
- **नामिती/आश्रित माता-पिता पेंशन**

6.11 **वर्ष** 2005-2006 **के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निपटाए गए पेंशन दावों** (**सभी लाभों**) **का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है**

दावों की श्रेणी	निपटाए गए दावों **की संख्या**
मासिक पेंशन लाभ	333724
जीवन बीमा लाभ	1302835
सेवानिवृत्ति एवं प्रत्याहरण लाभ	
प्रतिदाय	
कुल	**1636559**

अंशदान

6.12 (i) नियोक्ता द्वारा प्रति माह भविष्य निधि में किए जाने वाले अंशदान में से, अंशदान का एक भाग जो कर्मचारी के वेतन का 8.33 प्रतिशत है, को कर्मचारी पेंशन निधि में जमा किया जाता है । धन प्रेषण में होने वाली लागत का वहन नियोक्ता करता

है। केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी के वेतन का 1.16 प्रतिशत भाग का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि में करती है। ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी का वेतन 6500/- रूपये प्रति माह से अधिक हो जाता है, उन मामलों में नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले अंशदान तथा केन्द्रीय अंशदान को कर्मचारी के 6500/- रूपये के वेतन के अंशदान तक सीमित रखा जाएगा ।

पेंशन निधि में अंशदान

6.13 **इस योजना का वित्त पोषण, भविष्य निधि अंशदान नियोक्ता शेयर से** 8.33 **प्रतिशत अन्तरित करके व केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में मूल मजदूरी के** 1.16 **प्रतिशत की दर किया जाता है । समाप्त की जा चुकी परिवार पेंशन निधि की कुल संचित राशि पेंशन निधि की संचयी राशि है । वर्ष** 2005-06 **के दौरान** 6885.45 **करोड़ रूपये पेंशन निधि अंशदान के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें** 6135.45 **करोड़ रूपये नियोक्ता शेयर का तथा** 750 **करोड़ रूपये केन्द्र सरकार का अंशदान था ।**

पेंशन लाभार्थी

6.14 **समाप्त की जा चुकी परिवार पेंशन योजना के लाभाधिकारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत् लाभ पाते रहेंगे । दिनांक** 31.3.2006 **की स्थिति के अनुसार योजना के अंतर्गत** 1360510 **सदस्य,** 512110 **विवाहित,** 440607 **बच्चे,** 10401 **अनाथ एवं** 12255 **नामिती पेंशन प्राप्त कर रहे थे । वर्ष के दौरान पेंशनभोगियों को कुल** 1955.95 **करोड़ रूपये राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं डाकघरों के माध्यम से वितरित किए गए ।**

आधुनिकीकरण कार्यक्रम

रि-इन्वेंरिंग इंडिया

6.15 **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) ने 'रि-इन्वेंरिंग ई.पी.एफ.ओ इंडिया नामक एक बड़ी परियोजना शुरू की है । इसका मूल लक्ष्य ई.पी.एफ.ओ. को विश्व स्तरीय संगठन में तब्दील करते हुए अनुपालन के आधुनिक तरीकों को अंगीकार करते हुए पणधारियों तक सेवा विस्तार करना है । इससे दावों का निपटान** 30 **दिन । (वर्तमान नियमों के अनुसार) के बदले** 2-3 **दिन में हो जाएगा तथा सदस्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के दौरान भी खाता नंबर बदलने की आवश्यकता नहीं होगी ।**

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

व्याप्ति

6.16 **कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,**1948 **में बीमारी, प्रसूति और रोजगार के दौरान लगी चोट के मामलों में स्वास्थ्य देखरेख और नकद लाभों के**

भुगतान का प्रावधान है । यह अधिनियम विद्युत शक्ति का प्रयोग करने वाले और 10 **अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-मौसमी कारखानों तथा विद्युत शक्ति का प्रयोग न करने वाले और** 20 **अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कतिपय अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है । इस अधिनियम को क्षेत्रवार चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है । कर्मचारी राज्य बीमा योजना** 25 **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में** 728 **केन्द्रों में संचालित है ।** 31.3.2006 **तक योजना के अंतर्गत** 91.49 **लाख बीमित व्यक्तियों एवं लगभग** 353.05 **लाख लाभाधिकारियों को शामिल किया गया है । वर्ष के अंत तक शामिल किए गए कारखानों तथा स्थापनाओं की संख्या बढ़कर** 3,05,294 **तक पहुंच गई।**

प्रशासन

6.17 कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.निगम) नामक सांविधिक निकाय द्वारा प्रशासित की जाती है जिसमें नियोक्ता, कर्मचारी, केन्द्र और राज्य सरकारों, चिकित्सा व्यवसाय एवं संसद के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं । केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री इसके अध्यक्ष हैं । निगम के सदस्यों में से ही गठित स्थायी समिति योजना के प्रशासन में कार्यकारिणी निकाय की भूमिका निभाती है तथा इसके अध्यक्ष, सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, हैं । वर्तमान में 24 क्षेत्रीय बोर्ड, 345 स्थानीय समितियां मौजूद हैं । महानिदेशक (क.रा.बी. निगम) निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं स्थायी समिति एवं निगम के पदेन सदस्य भी हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिल्ली में स्थित मुख्यालय के **अलावा देश भर में अनेक फील्ड कार्यालय हैं । निगम के देशभर में** 23 **क्षेत्रीय कार्यालय**, 14 **उप-क्षेत्रीय कार्यालय, तथा** 7 **प्रभागीय कार्यालय हैं । इसके अलावा** 646 **शाखा कार्यालय**, 248 **निरीक्षण कार्यालय एवं** 179 **भुगतान कार्यालय हैं जो योजना का प्रशासन चला रहे हैं।**

योजना का वित्तपोषण एवं प्रचालन

6.18 **कर्मचारी राज्य बीमा योजना का वित्तपोषण मुख्यतः नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान से होता है। नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के अंशदान की दर क्रमशः** 4.75 **प्रतिशत तथा** 1.75 **प्रतिशत है । चिकित्सा देखरेख की व्यवस्था पर होने वाले व्यय के लिए राज्य सरकार का शेयर** 12.5 **प्रतिशत (प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा के भीतर** 1/8 **भाग) है। निगम ने चिकित्सा देखरेख पर होने वाले शेयर योग्य व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की है ।** 1 **अप्रैल,** 2005 **से प्रति बीमित व्यक्ति परिवार एकक के व्यय की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर**

900/-रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और अन्य भवनों के निर्माण और उनके रखरखाव पर समस्त पूंजीगत व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है ।

निवेश

6.19 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन प्राप्त समस्त अंशदान तथा निधि से संबंधित समस्त अन्य धनराशि, जिसकी दिन प्रतिदिन का खर्च करने के लिए तात्कालिक आवश्यकता नहीं है, सांविधिक रूप में विहित रीति से निवेशित की जाती है । 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार 12909.30 करोड़ रुपये की निधि का कुल निवेश किया गया है । इसमें से 5640.38 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय सरकार के विशेष जमा खाते में निवेश की गई है तथा 7268.92 करोड़ रुपए की शेष राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि में सावधि जमा के रूप में निवेशित है ।

कर्मचारी राज्य बीमा देयों की बकाया राशि

6.20 व्याप्त कारखानों/स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा चूक के कारण 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार 1140.87 करोड़ रु. की राशि बकाया थी। इसमें से 697.26 करोड़ रु. की राशि विभिन्न कारणोंवश जैसे कारखानों के परिसमापन में चले जाने अथवा वसूली को न्यायालयों में विवादित किए जाने के कारण फिलहाल वसूलनीय नहीं है। शेष 443.61 करोड़ रु. की राशि वसूलनीय है। कर्मचारी राज्य बीमा देयों की वसूली के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के विभिन्न उपबन्धों और भारतीय दंड संहिता के अधीन वसूली तंत्र, वैधानिक तथा दाण्डिक कार्रवाइयों के माध्यम से आवश्यक वसूली कार्रवाई कर रहा है । वर्ष 2005-2006 के दौरान निगम ने अपने वसूली तत्र के माध्यम से चूककर्त्ताओं से 160.22 करोड़ रु. की राशि वसूल की । इसके अलावा, अप्रैल, 2006 से सितम्बर, 2006 तक 57.57 करोड़ रु. वसूल किए गए हैं।

स्वास्थ्य संबंधी लाभ

6.21 इस योजना में बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को प्राथमिक स्वास्थ्य-सेवा से लेकर अति विशेषज्ञ उपचार की सभी चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। दिल्ली को छोड़कर इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखरेख का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।निगम प्रत्यक्ष रूप से देश में 17 आदर्श (मॉडल) अस्पतालों को प्रशासित करता है । मार्च 2006 के अंत तक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की कुल संख्या 144 थी।

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा की

संरचना (31.3.2006 की स्थिति के अनुसार)	
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल (संख्या)	144
कर्मचारी राज्य बीमा एनेक्सियां (संख्या)	42
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में निर्मित बिस्तर (संख्या)	23063
कर्मचारी राज्य बीमा एनेक्सियों में बिस्तर (संख्या)	849
राज्य सरकार के अस्पतालों में आरक्षित बिस्तर	4396
बीमा चिकित्सा अधिकारियों की संख्या	6992
क.रा.बीमा औषधालय	1422
पैनल क्लीनिक	2041

वर्ष **2005-06** में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की उपलब्धियाँ

- **वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा योजना** 144 **अस्पतालों,** 42 **एनेक्सियों,** 1422 **औषधालयों,** 2041 **पैनेल क्लीनिकों तथा** 825 **शाखा कार्यालयों तथा** 44 **क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय तथा प्रभागीय कार्यालयों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से** 355 **लाख लाभार्थियों को सामाजिक संरक्षण उपलब्ध कराती है।**

- **वित्तीय वर्ष** 2005-06 **में निगम लगभग** 1933.56 **करोड़ रुपये की सर्वाधिक अंशदान आय प्राप्त करने में समर्थ हुआ है।**
- **कर्मचारी राज्य बीमा योजना** 91 **नए भौगोलिक क्षेत्रों में लागू की गयी । कुल** 1.48 **लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को इसके दायरे में लाया गया।** 24423 **नए नियोजकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दायरे में लाया गया।**
- **चिकित्सा देख-रेख खर्च की अधिकतम सीमा को** 01.10.2006 **से** 7500/- **रुपये से बढ़ाकर** 10,000/-**रु. प्रति माह कर दिया गया है ।**

- **निगम ने व्यावसायिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत दैनिक भत्ते की दर को** 45/- **रूपये से बढ़ाकर** 123/- **रूपये प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है ।**
- **निगम ने अब** 1 **अप्रैल,** 2005 **से अनिच्छा से बेरोजगारी का सामना करने वाले बीमित व्यक्तियों के लिए**

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ की है।

- वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम राज्य सरकारों को प्रति वर्ष प्रतिबीमित व्यक्ति 900/- रूपये की राशि स्वास्थ्य सुविधाएं देने हेतु उपलब्ध कराता है ।
- **निगम ने अखिल भारतीय विशिष्ट संख्या के साथ प्रत्येक बीमित व्यक्ति के लिए विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है जिससे बीमित व्यक्ति देश में कहीं भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभ का दावा करने में समर्थ होगा।**
- **निगम ने शैक्षिक संस्थाओं, निजी चिकित्सा संस्थाओं तथा नगर निगम/ नगरपालिकाओं आदि में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है।**

उपदान संदाय अधिनियम, 1972

6.22 **उपदान संदाय अधिनियम,** 1972 **में कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बंदर-गाहों, रेलवे कंपनियों, मोटर ट्रांसपोर्ट उपक्रमों, दुकानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को उपदान के अनिवार्य भुगतान का प्रावधान किया गया है।**

कवरेज

- **प्रत्येक कारखाना, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह, रेलवे कंपनी तथा खान ।**
- **वर्तमान में राज्य के दुकानों व प्रतिष्ठानों के बारे में लागू विधान के अंतर्गत परिभाषित वे सभी दुकान अथवा प्रतिष्ठान जहां** 10 **अथवा अधिक कामगार कार्यरत हैं अथवा पिछले** 12 **महीनों के दौरान किसी भी दिन कार्यरत थे ।**
- **वे सभी मोटर परिवहन उपक्रम जिनमें** 10 **अथवा अधिक कामगार कार्यरत हैं अथवा पिछले** 12 **महीनों के दौरान किसी भी दिन कार्यरत थें ।**
- **ऐसे अन्य प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठानों की श्रेणी जिनमें** 10 **अथवा अधिक कामगार कार्यरत है अथवा पिछले** 12 **महीनों के दौरान कार्यरत थे जिसके बारे में केन्द्र सरकार इस आशय की अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करती है।**

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923

6.23 **जिस दुकानों अथवा प्रतिष्ठानों को एक बार कवर कर लिया गया है उसमें किसी समय कामगारों की संख्या** 10 **से कम होने पर भी उसे कवर ही माना जाएगा ।**

हकदारी

6.24 शिक्षा के अलावा प्रत्येक कर्मचारी, उनके वेतन पर विचार किए बिना, पांच वर्ष की सतत सेवा या इससे अधिक सेवा की हो, उपदान (ग्रेच्युटी) प्राप्त करने का हकदार है। उपदान, (i) अधिवर्षिता अथवा (ii)सेवा निवृत्ति अथवा त्याग पत्र अथवा (iii) मृत्यु एवं दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण मृत्यु अथवा निःशक्तता के कारण हुई सेवा समाप्ति पर भुगतेय है। सेवा समाप्ति में छंटनी भी शामिल है। तथापि, मृत्यु अथवा अपंगता के कारण सेवा समाप्ति पर 5 वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक नहीं है । कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उपदान की भुगतेय राशि इसके नाम निर्देशिती को भुगतान की जाएगी तथा नामांकन न किए गए मामलों में इसके उत्तराधिकारी को भुगतान की जाएगी ।

लाभों की गणना

6.25 प्रत्येक एक वर्ष की सेवा पूरी होने अथवा छः माह से ऊपर की अवधि केÒलिए नियोक्ता, संबंधित कर्मचारी के अंतिम वेतन प्राप्त करने की दर पर पन्द्रह दिनों के वेतन को आधार मानते हुए ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। कर्मचारी को भुगतेय ग्रेच्युटी की राशि (3,50,000) से अधिक नहीं होगी ।

प्रशासन

6.26 अधिनियम का प्रवर्तन केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों ही द्वारा किया जाता है । धारा 3 समुचित सरकार को प्राधिकृत करता है कि वह अधिनियम के प्रशासन के लिए नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है । खानों, प्रमुख बंदरगाहों, तेल क्षेत्रों, रेलवे, कारखानों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले प्रतिष्ठानों तथा ऐसे प्रतिष्ठानों जिनकी एक से अधिक राज्यों में शाखायें हैं, वे केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं । शेष बचे कारखानों तथा /प्रतिष्ठानों की देखरेख राज्य सरकारों द्वारा की जाती है ।

6.27 यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो सके, केन्द्र / राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी तथा निरीक्षकों की नियुक्ति करती हैं । केन्द्र/राज्य सरकारें अधिनियम के प्रशासन के संबंध में नियम भी बनाती हैं । अधिनियम के प्रशासन हेतु महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित श्रम न्यायालयों को नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, **1961**

6.28 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,1961 कामकाजी महिलाओं के कल्याण संबंधी उपायों को और मजबूत करने के उद्देश्य से अधिनियमित किए गए समाजिक विधान

का एक भाग है। अधिनियम में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व तथा प्रसव उपरांत एक निर्धारित अवधि तक कार्य करने से मनाही है । इसके अन्तर्गत, गर्भावास्था के कारण रोजगार से बाहर रहने के दौरान कतिपय शर्तो के पूरा होने के अधीन महिला कामगारों को प्रसूति अवकाश तथा कुछेक वित्तीय लाभों का प्रावधान है । किसी महिला कामगार के गर्भावास्था के कारण जिसमें कोई बड़ा कदाचार शामिल नहीं है के कारण अनुपस्थित रहने के कारण अनुपस्थित रहने की अवधि को आधार मानते हुए उसे सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है । किसी महिला को प्रसूति लाभ की अविध अधिक से अधिक 12 सप्ताह की होगी । इसमें से छः सप्ताह की अवधि बच्चे के जम्म के पूर्व की होगी तथा 6 ः सप्ताह की अवधि इसके बाद की होगी ।

प्रतिकर अधिनियम, 1923

6.29 **इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं के ऊपर उन कर्मकारों को मुआवजा देने का दायित्व देना है जो रोजगार के कारण अथवा उसके दौरान हुई दुर्घटना की स्थिति से उत्पन्न होती है।**

6.30 **यह अधिनियम रेलवे कारखानों, खानों, बागानों, यंत्र चालित वाहनों, जहाज पर माल लादने और उतारने का कार्य निर्माणकार्य सड़को तथा पुलों के मरम्मत तथा रखरखाव विद्युत उत्पादन सिनेमा घरो जंगली हाथी को पकड़ना, तथा उनका व्यापार करना तथा अधिनियम की धारा** 2(3) **के अर्न्तगत अधिनियम की अनुसूची दो में उल्लिखित अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगे व्यक्तियों, लिपिकीय कार्यों में लगे व्यक्तियों के अलावा नियोजित किसी भी व्यक्ति पर लागू है । राज्य सरकारें इस अधिनियम का विस्तार किसी अन्य श्रेणी अथवा व्यक्तियों पर जिनका व्यवसाय जोखिमकारी माना जाता है, इस आशय की अधिसूचना दो माह के नोटिस के साथ शासकीय राजपत्र में जारी करके ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं । तथापि यह अधिनियम सशस्त्रबल में कार्यरत सदस्यों पर तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनिगम,** 1988 **के अन्तर्गत कवर होने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं है क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत निःशक्ता तथा आश्रित हितलाभ उन्हे उपलब्ध हैं।**

हकदारी

6.31 कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 2 (1) (ढ) **के अन्तर्गत 'कामगार' की परिभाषा में वे व्यक्ति आते हैं, प्रथमरूप में वह व्यक्ति नियोजित हो, दूसरा वह नियोक्ता के व्यवसाय अथवा व्यापार के उद्देश्य से उसका नियोजन हुआ हो तथा अन्त में वह अधिनियम की अनुसूची दो की सूची में यथा निर्धारित कार्य में कार्यरत हो ।**

लाभ

6.32 कामगार को नियोजन के दौरान दुर्घटना के कारण होने वाली व्यक्तिगत चोट के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। (धारा-3) नियोक्ता ऐसे किसी प्रकार की अपंगता (मृत्यु को छोड़कर) जो तीन दिन से अधिक तक जारी नहीं रहने के लिए क्षतिपूर्ति के जिम्मेवार नहीं होगा, यदि चोट कामगार के अल्कोहल अथवा ड्रग्स लेने के कारण अथवा कामगार के सुरक्षा देने के उद्देश्य से स्पष्ट रूप में बनाऐ गए नियम के उल्लंहन अथवा स्पष्ट आदेश की जानबूझ कर अवज्ञा करने अथवा जानबूझ कर सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी करने अथवा उसे हटाने के कारण हुआ हो। मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति की दर मृतक कामगार के मासिक वेतन के 50 प्रतिशत के साथ संगत घटको का गुणनफल निकालने के द्वारा अथवा 80 हजार रूपये की राशि जो भी अधिक हो होगी। जहां पर चोट के कारण स्थायी रूप से पूर्ण विक्लांगता हो जाती है चोट ग्रस्त कामगार के मासिक वेतन के 60 प्रतिशत से संगत घटकों का गुणनफल निकालने के द्वारा अथवा 90 हजार रूपये की राशि जो भी अधिक हो होगी। जिन मामलों में कामगार की मासिक वेतन 4 हजार रूपये से अधिक है उन मामलों में उपर्युक्त उद्देश्य के लिए इससे केवल 4 हजार रूपये ही माना जाएगा।

प्रशासन

6.33 राज्य सरकारें, इस अधिनियम के उपबंधों को विशेष क्षेत्र में नियुक्त आयुक्तों के द्वारा प्रशासित करती है। राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियम ही बनाती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आई.एस.एस.ए.)

6.33 कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों ने अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ द्वारा आयोजित निम्नांकित संगोष्ठियों सम्मेलनों/प्रशिक्षण पाठ्य़क्रमों में सम्मिलित हुएः-

- एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिनांक 9 से 11 नवम्बर, 2005 को आयोजित सामाजिक सुरक्षा संगठनों के निदेशकों की बैठकों में श्री आर. आई. सिंह महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने भाग लिया।
- तुरीन में दिनांक 20 से 31 मार्च, 2006 के द्वारा नियोजित सामाजिक जिलाथ बीमा संबंधी कार्यशाला में श्री जोस चैरियन अतिरिक्त आयुक्त एवं श्री ए.के. सिन्हा अतिरिक्त आयुक्त ने भाग लिया।

- कोलंम्बों में दिनांक 17 मई 2006 से पश्चिमी एशिया में आयोजित कार्यशाला में श्री आर. आई सिंह महानिदेशक ई.एस.आई.सी. ने भाग लिया।

- 19 तथा 20 जून, 2006 को फ्रांस में आयोजित सामाजिक सुरक्षा सुधारों के साथ सीईओ के कार्य करने हेतु सेमिनार में श्री आर. आई. सिंह महानिदेशक ई.एस.आई.सी ने भाग लिया ।

- दिनांक 21 से 11 जून, 2006 को जिनेवा में आयोजित आई.एस.एस.ए. ब्यूरो की बैठक में श्री आर.आई.सिंह महानिदेशक, ई.एस.आई.सी ने भाग लिया।

- दिनांक 7 से 11 अगस्त, 2006 के दौरान क्वालाल्मांपुर में आयोजित सर्वोत्तम सहभागिता के रूप में बहुदेशिय अध्ययन मिशन में श्री वी.के.पिपरसेनिया,ं वित्त आयुक्त, ई.एस.आई.सी. ने भाग लिया ।

- दिनांक 11 से 15 सितम्बर, 2006 के दौरान मनिला, फिलिपिंस में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठय़क्रम में श्री एस.के.गग,ऩ निदेशक ने भाग लिया ।

- 16 से 27 अक्तूबर, 2006 के दौरान सियोल में कार्य चोट बीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशिक्षण पाठय़क्रम में श्री बी.सी भारद्वाज, अतिरिक्त आयुक्त । क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली में भाग लिया ।

- 2 एवं 3 नवम्बर, 2006 को जिनेवा में आयोजित आई.एस.एस.ए तकनीकी आयोग फॉरम में श्री आर.आई.सिंह, महानिदेशक,ई.एस.आई.सी ने भाग लिया।

*****